केंद्रीय विद्यालय संगठन/ Kendriya Vidyalaya Sangathan
18, संस्थानिक क्षेत्र/ 18, Institutional Area
शहीद जीत सिंह मार्ग/ Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली–16/ New Delhi – 16
011-26858570

फ.स.110239/51/2019/बजट/केवीएस(मुख्या.)   दिनांक29.3.19
921–53

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र दिनांक 11.12.2018 जोकि प्रावकाश विभाग मे कार्यरत कर्मचारियो के खाते मे छुट्टी जमा करने के संबंध मे है, की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित की जा रही है।

27/3/19
(संजय कुमार)
सहायक आयुक्त(वित)

वितरण :

1. उपायुक्त, के॰ वी॰ एस॰ , सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
2. वित्त अधिकारी , के॰ वी॰ एस॰ , सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सभी अधिकारी / अनुभाग , के॰ वी॰ एस॰ (मु॰)।
4. प्राचार्य , के॰ वी॰ काठमांडू , मास्को एवं तेहरान ।
5. महासचिव , सभी मान्य संघ ।
6. निदेशक , जीट ग्वालियर , मुंबई , मैसूर , चंडीगढ़ एवं भूबनेश्वर।
7. उपायुक्त, ई डी पी , के वी एस (मु॰) को
   के वी एस (मु॰) की वैबसाइट के शीर्ष "सूचना पट(Announcements) " के अंतर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित । प्रैशित
8. आर टी आई , के वी एस (मु॰)।
9. गार्ड फ़ाइल

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 897] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 2018/अग्रहायण 23, 1940
No. 897] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 2018/AGRAHAYANA 23, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1209(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) (चौथा संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972 में, --

(अ) नियम 28 के उपनियम (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :- '

"(क) प्रत्येक सरकारी सेवक (मिलिट्री अधिकारी से भिन्न) जो प्रावकाश विभाग में कार्य कर रहे हैं के छुट्टी खाते में प्रत्येक कलैंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन पांच दिनों की दो किश्तों में अर्जित छुट्टी अग्रिम में जमा की जाएगी।

(ख) किसी ऐसे वर्ष के संबंध में जिसके लिए कोई सरकारी सेवक अवकाश के एक भाग का उपभोग कर लेता है तो वह पूर्ण अवकाश दिनों में से उपभोग नहीं किए गए अवकाश दिनों के बीस दिन के अनुपात में अतिरिक्त अर्जित छुट्टियों का हकदार होगा, परन्तु एक कलैंडर वर्ष में जमा की गई कुल अर्जित छुट्टी तीस दिन से अधिक नहीं होगी।

(ग) यदि, किसी वर्ष में किसी सरकारी सेवक ने कोई अवकाश नहीं लिया है, तो अर्जित छुट्टी खंड (क) और (ख) के बजाए नियम 26 के अनुसार होगी ।";

(आ) नियम 29 के उपनियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) प्रत्येक सरकारी सेवक (मिलिट्री अधिकारी और प्रावकाश विभाग में कार्यरत सरकारी सेवक से भिन्न) के अर्द्धवेतन छुट्टी खाते में प्रत्येक कलैंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन दस दिनों की दो किश्तों में अग्रिम में अर्द्धवेतन छुट्टी जमा की जाएगी ।';

(इ) नियम 43-ग,-

(क) के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखत उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन किसी महिला सरकारी सेवक और एकल पुरुष सरकारी सेवक को अपने दो ज्येष्ठ जीवित बालकों की देखभाल के लिए चाहे वह पालनपोषण के लिए हो अथवा उनकी किसी भी जरुरत जैसे कि शिक्षा, बीमारी और ऐसी ही अन्य जरुरत के लिए उसके संपूर्ण सेवाकाल में छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम सात सौ तीस दिनों की संतान देखभाल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है ।'

(ख) उपनियम (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(3) उपनियम (1) के अधीन किसी महिला सरकारी सेवक और एकल पुरुष सरकारी सेवक को संतान देखभाल की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्:-

(i) यह किसी कलैंडर वर्ष में अधिकतम तीन बार स्वीकृत की जाएगी;

(ii) एकल महिला सरकारी सेवक की दशा में एक कलैंडर वर्ष में तीन बार में छुट्टी को प्रदान करने को एक कलैंडर वर्ष में छह बार तक बढ़ाया जायेगा;

(iii) कतिपय विशेष परिस्थितियां जिसमें छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी परिवीक्षार्थी को संतान देखभाल छुट्टी देने के बारे में संतुष्ट हो, को छोड़कर सामान्यतया परिवीक्षा के दौरान स्वीकृत नहीं की जाएगी परंतु अवधि जिसके लिए छुट्टी स्वीकृत की जाती हो, न्यूनतम हों ।

(iv) संतान देखभाल छुट्टी एक साल में पांच दिन से कम की अवधि के लिए नहीं प्रदान की जाएगी ।';

'(4) संतान देखभाल छुट्टी के दौरान, महिला सरकारी सेवक और एकल पुरुष सरकारी सेवक को पहले तीन सौ पैंसठ दिन के लिए वेतन के सौ प्रतिशत, लेकिन अगले तीन सौ पैंसठ दिन के लिए वेतन के अस्सी प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा '

स्पष्टीकरण : 'एकल पुरुष सरकारी सेवक से – एक अविवाहित या विधुर या परित्यक्त सरकारी सेवक अभिप्रेत है ।';

(ई) नियम 44 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'44— कार्य से संबंधित बीमारी और क्षति (डब्ल्यू आर आई आई एल):-

यह किसी सरकारी सेवक (चाहे स्थायी हो या अस्थायी), जो ऐसी बीमारी या क्षति से पीड़ित है कि जो उसकी शासकीय कर्तव्यों के पालन के कारण हुई है या गम्भीर हुई है या उसकी शासकीय स्थिति के परिणामस्वरुप हुई है को निम्नलिखित शर्तों पर, इन नियमों के नियम 19 के उपनियम (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे प्राधिकारी जो छुट्टियां प्रदान करने के लिए सक्षम है, द्वारा कार्य से संबंधित बीमारी और क्षति छुट्टी (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् डब्ल्यूआरआईआईएल कहा गया है) प्रदान की जा सकेगी, अर्थात्

(1) डब्ल्यूआरआईआईएल के कारण अस्पताल में भर्ती होने की संपूर्ण अवधि के दौरान सभी कर्मचारियों को पूर्ण वेतन और भत्ते प्रदान किए जाएंगे।

(2) अस्पताल में भर्ती के पश्चात्, डब्ल्यूआरआईआईएल निम्न प्रकार शामित होगी:

(क) एक सरकारी कर्मचारी (मिलिट्री अधिकारी से भिन्न)- को अस्पताल में भर्ती के परे अव्यवहित छह माह के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते और उक्त छह माह की अवधि के पश्चात् बारह माह के लिए आधा वेतन दिया जाएगा। अर्द्धवेतन अवधि को कर्मचारी छुट्टी खाते में विकलित अर्द्धवेतन छुट्टी के दिनों की तत्स्थानी संख्या के साथ पूर्ण वेतन में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(ख) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों के लिए – अस्पताल में भर्ती के परे अव्यवहित छह माह के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते, और केवल अगले चौबीस माह के लिए पूर्ण वेतन।

(ग) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों की पंक्ति से नीचे के कार्मिकों के लिए- पूर्ण वेतन और जिनकी अवधि के संबंध में कोई सीमा नहीं है।

(3) ऐसे व्यक्तियों की दशा में जिन पर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 लागू होता है को डब्ल्यूआरआईआईएल के अधीन संदत्त छुट्टी वेतन की रकम में से अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर की रकम घटा दी जाएगी।

(4) जब कर्मचारी डब्ल्यूआरआईआईएल पर है उस अवधि के दौरान कोई अर्जित छुट्टी या अर्द्धवेतन छुट्टी जमा नहीं होगी।'

(उ) नियम 45 और 46 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 11020/01/2017-स्था.(एल)]

ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी,संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 8 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना सं का.आ. 940 तारीख 15 मार्च, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्यांक	तारीख	सा.का.नि. सं.	सा.का.नि.तारीख
1.	16(3)-ई.IV(ए)/71	11.1.1972	2724	4.11.1972
2.	4(7)-ई.IV(ए)/72	30.4.1973	1399	19.5.1973
3.	5(15)-ई.IV(ए)/73	13.7.1973	821	14.8.1973
4	14(10)-ई.IV(ए)/73	11.6.1974	आसानी से उपलब्ध नहीं	
5.	5(8)-ई.IV(ए)/73	19.7.1974	818	3.8.1974
6.	14(8)-ई.IV(ए)/74	2.11.1974	1242	23.11.1974
7.	16(3)-ई.IV(ए)/74	20.12.1974	1374	28.12.1974
8.	16(5)-ई.IV(ए)/74	11.4.1975	526	26.4.1975
9.	16(8)-ई.IV(ए)/74	26.5.1975	686	7.6.1975
10	4(1)-ई.IV(ए)/74	24.6.1975	834	12.7.1975
11.	16(8)-ई.IV(ए)/74	20.9.1975	2876	27.12.1975
12.	5(7)-ई.IV(ए)/75	2.12.1975	2877	27.12.1975
13.	5(16)-ई.IV(ए)/73	15.1.1976	आसानी से उपलब्ध नहीं	
14.	16(6)-ई.IV(ए)/73	31.7.1976	1184	14.8.1978
15.	16(3)-ई.IV(ए)/76	7.10.1976	1587	13.11.1976
16.	4(9)-ई.IV(ए)/76	14.3.1977	611	14.5.1977
17.	14(11)-ई.IV(ए)/76	12.9.1978	1159	23.9.1978
18.	14025/1/78-ई.IV(ए)	4.10.1978	1255	15.9.1979

19.	13024/1/76-ई.IV(ए)	29..8.1979	1150	15.9.1979
20.	11022/1/77-ई.IV(ए)	21.11.1979	1422	1.12.1979
21.	14018/1/80-एलयू	21.11.1980	1260	13.12.1980
22.	16(19)-ई.IV(ए)/76	31.12.1980	263	24.11.1981
23.	11012/2/80-स्था.(एल)	24.8.1981	811	5.9.1981
24	14028/9/1980-स्था.(एल)	1.10.1981	927	7.10.1981
25.	14025/9/80-स्था.(एल)	16.4.1982	423	8.5.1982
26.	13023/2/81-स्था.(एल)	16.4.1983	430	4.6.1983
27.	14028/8/82-स्था.(एल)	27.7.1983	489	13.8.1983
28.	131023/2/81-स्था.(एल)	12.10.1983	804	5.11.1983
29.	14028/6/81-स्था.(एल)	17.10.1973	350	24.3.1983
30.	13015/11/82-स्था.(एल)	25.5.1984	566	9.6.1984
31.	18011/3/80-स्था.(एल)	12.7.1984	788	28.7.1984
32.	14028/1/81-स्था.(एल)	19.7.1984	817	4.8.1984
33.	14028/16/82-स्था.(एल)	31.5.1985	558	15.6.1985
34.	13014/1/85-स्था.(एल)	3.12.1985	1139	14.12.1985
35.	14028/19/86-स्था.(एल)	9.12.1986	1072	14.12.1985
36.	13023/20/84-स्था.(एल)	11.12.1986	1102	27.12.1986
37.	13014/1/87-स्था.(एल)	17.6.1987	515	4.7.1987
38.	11012/1/85-स्था.(एल)	23.6.1987	516	4.7.1988
39.	14028/18/86-स्था.(एल)	23.3.1988	260	9.4.1988
40.	11012/1/85-स्था.(एल)	6.6.1988	476	18.6.1988
41.	13012/12/86-स्था.(एल)	10.3.1989	198	25.3.1989
42.	13026/2/90-स्था.(एल)	22.10.1990	55	26.1.1991
43.	11014/3/89-स्था.(एल)	2.5.1991	303	18.5.1991
44.	11014/3/89-स्था.(एल)	21.1.1992	49	8.2.1992
45.	13026/2/90-स्था.(एल)	4.3.1992	119	14.3.1992
46.	13026/2/90-स्था.(छुट्टी)	20.4.1993	225	8.5.1993
47.	13018/7/94-स्था.(एल)	31.3.1995	317(अ)	31.3.1995
48.	14028/10/91-स्था.(एल)	8.8.1995	385	19.8.1995
49.	14028/4/91-स्था.(एल)	18.9.1995	442	7.10.1995
50.	14015/2/97-स्था.(एल)	31.12.1997	727(अ)	31.12.1997
51.	13026/1/99-स्था.(एल)	18.4.2002	149	27.4.2002
52.	13026/1/2002-स्था.(एल)	15/16.1.2004	186	5.6.2004
53.	14028/1/2004-स्था.(एल)	13.2.2006	47	4.3.2006
54.	13018/1/2004-स्था.(एल)	31.3.2006	91	27.4.2006
55.	13023/3/98-स्था.(एल)	26.10.2007	229	3.11.2007
56.	11012/1/2009-स्था.(एल)	1.12.2009	170	5.12.2009
57.	13026/1/2010-स्था.(एल)	12.5.2011	160	12.5.2011
58.	13026/1/2010-स्था.(एल)	5.8.2011	601(अ)	5.8.2011
59.	14028/1/2010-स्था.(एल)	26.8.2011	646(अ)	26.8.2011
60.	13018/4/2011-स्था.(एल)	27.8.2011	648 (अ)	27.8.2011
61.	13026/4/2011-स्था.(एल)	26.12.2011	898 (अ)	26.12.2011
62.	13026/3/2011-स्था.(एल)	28.3.2012	255 (अ)	28.3.2012
63.	13026/2/2010-स्था.(एल)	29.3.2012	261 (अ)	29.3.2012
64.	13026/5/2011-स्था.(एल)	4.4.2012	283(अ)	4.4.2012
65.	13026/4/2012-स्था.(एल)	18.2.2014	96(अ)	18.02.2014
66.	13026/4/2012-स्था.(एल)	17.4.2014	286(अ)	21.04.2014

67.	13018/6/2013-स्था.(एल)	09.10.2014	711(अ)	09.10.2014
68.	13026/2/2016-स्था.(एल)	15.3.2017	251(अ)	15.03.2017
69.	13023/1/2017-स्था.(एल)	1.1.2018	08(अ)	03.01.2018
70.	18017/1/2014-स्था.(एल)	3.4.2018	438(अ)	09.05.2018
71.	13018/6/2013-स्था.(एल)	6.6.2018	554(अ)	13.06.2018

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2018

G.S.R. 1209(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General uf India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) (Fourth Amendment) Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, —

   (A) in rule 28, in sub-rule (1) for clauses (a), (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:-

   "(a) The leave account of every Government servant (other than a military officer) who is serving in a Vacation Department shall be credited with earned leave, in advance' in two installments of five days each on the first day of January and July of every calendar year.

   (b) In respect of any year in which a Government Servant avails a portion of the vacation, he shall be entitled to additional earned leave in such proportion of twenty days, as the number of days of vacation not taken bears to the full vacation, provided the total earned leave credited shall not exceed thirty days in a calendar year.

   (c) If, in any year, the Government servant does not avail any vacation, earned leave will be as per Rule 26 instead of clauses (a) and (b).";

   (B) in rule 29, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

   "(1) The half pay leave account of every Government servant (other than a military officer and a Government servant serving in a Vacation Department) shall be credited with half pay leave in advance, in two installments of ten days each on the first day of January and July of every calendar year.";

   (C) in rule 43-C, (a) ~~for~~ sub-rule (1), the following sub-rule shall be substitoted, namely":

   "(1) Subject to the provisions of this rule, a female Government servant and single male Government servant may be granted child care leave by an authority cnmpetent to grant leave for a maximum period of seven hundred and thirty days during entire service for taking care of two eldest surviving children, whether for rearing or for looking after any of their needs, such as education, sickness and the like." ;

   (b) for sub-rules (3) and (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

   "(3) Grant of child care leave to a female Government servant and a single male Government servant under sub-rule (1) shall be subject to the following conditions, namely:-

   (i) it shall not be granted for more than three spells in a calendar year;

   (ii) in case of a single female Government servant, the grant of leave in three spells in a calendar year shall be extended to six spells in a calendar year.

(iii) it shall not ordinarily be granted during the probation period except in case of certain extreme situations where the leave sanctioning authority is satisfied about the need of child care leave to the probationer, provided that the period for which such leave is sanctioned is minimal.

(iv) child care leave may not be granted for a period less than five days at a time.

(4) During the period of child care leave, a female Government servant and a single male Government servant shall be paid one hundred percent of the salary for the first three hundred and sixty five days, and at eighty percent of the salary for the next three hundred and sixty five days.

Explanation.—Single Male Government Servant' means – an unmarried or widower or divorcee Government servant.";

(D) for rule 44, the following rule shall be substituted, namely:-

"44. Work Related Illness and Injury Leave:-

The authority competent to grant leave may grant Work Related Illness and Injury Leave (herein after referred to as WRIIL) to a Government servant (whether permanent or temporary), who suffers illness or injury that is attributable to or aggravated in the performance of her or his official duties or in consequence of her or his official position subject to the provisions contained in sub-rule (1) of rule 19 of these rules, on the following conditions, namely :

(1) Full pay and allowances shall be granted to all employees during the entire period of hospitalisation on account of WRIIL.

(2) Beyond hospitalization, WRIIL shall be governed as follows:

(a) A Government servant (other than a military officer) full pay and allowances for the six months immediately following hospitalisation and Half Pay for twelve months beyond the said period of six months. The Half Pay period may be commuted to full pay with corresponding number of days of Half Pay Leave debited from the employees leave account.

(b) For officers of Central Armed Police Forces full pay and allowances for six months immediately following the hospitalisation and full pay only for the next twenty four months.

(c) For personnel below the rank of officer of the Central Armed Police Forces full pay and allowances, with no limit regarding period.

(3) In the case of persons to whom the Workmen's Compensation Act, 1923 applies, the amount of leave salary payable under WRIIL shall be reduced by the amount of compensation paid under the Act.

(4) No Earned Leave or Half Pay Leave shall be credited during the period that employee is on WRIIL.".

(E) rules 45 and 46 shall be omitted.

[F. No. 11020/01/2017 -Estt(L)]

GYANENDRA DEV TRIPATHI Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated 8th April, 1972 *vide* number S.O. 940 dated the 15th March, 1972 and have been subsequently amended *vide*:

S. No.	Number of the notification	Date	GSR. No.	GSR date
1	16(3)-E.IV(A)/71	11.1.1972	2724	4.11.1972
2	4(7)-E.IV(A)/72	30.4.1973	1399	19.5.1973
3	5(15)-E.IV(A)/73	13.7.1973	821	14.8.1973
4	14(10)-E.IV(A)/73	11.6.1974	Not readily available	
5	5(8)-E.IV(A)/73	19.7.1974	818	3.8.1974
6	14(8)-E.IV(A)/74	2.11.1974	1242	23.11.1974
7	16(3)-E.IV(A)/74	20.12.1974	1374	28.12.1974
8	16(5)-E.IV(A)/74	11.4.1975	526	26.4.1975

9	16(8)-E.IV(A)/74	26.5.1975	686	7.6.1975
10	4(1)-E.IV(A)/74	24.6.1975	834	12.7.1975
11	16(8)-E.IV(A)/74	20.9.1975	2876	27.12.1975
12	5(7)-E.IV(A)/75	2.12.1975	2877	27.12.1975
13	5(16)-E.IV(A)/73	15.1.1976	Not readily available	
14	16(6)-E.IV(A)/74	31.7.1976	1184	14.8.1978
15	16(3)-E.IV(A)/76	7.10.1976	1587	13.11.1976
16	4(9)-E.IV(A)/76	14.3.1977	611	14.5.1977
17	14(11)-E.IV(A)/76	12.9.1978	1159	23.9.1978
18	14025/1/78-E.IV(A)	4.10.1978	1255	21.10.1978
19	13024/1/76-E.IV(A)	29.8.1979	1150	15.9.1979
20	11022/1/77-E.IV(A)	21.11.1979	1422	1.12.1979
21	14018/1/80-LU	21.11.1980	1260	13.12.1980
22	16(19)-E.IV(A)/76	31.12.1980	263	24.11.1981
23	11012/2/80-Est.(L)	24.8.1981	811	5.9.1981
24	14028/9/80-Est.(L)	1.10.1981	927	17.10.1981
25	14025/9/80-Est.(L)	16.4.1982	423	8.5.1982
26	13023/2/81-Est.(L)	16.4.1983	430	4.6.1983
27	14028/8/82-Est.(L)	27.7.1983	489	13.8.1983
28	131023/2/81-Est.(L)	12.10.1983	804	5.11.1983
29	14028/6/81-Est.(L)	17.10.1973	350	24.3.1983
30	13015/11/82-Est.(L)	25.5.1984	566	9.6.1984
31	18011/3/80-Est.(L)	12.7.1984	788	28.7.1984
32	14028/1/81-Est.(L)	19.7.1984	817	4.8.1984
33	14028/16/82-Est.(L)	31.5.1985	558	15.6.1985
34	13014/1/85-Est.(L)	3.12.1985	1139	14.12.1985
35	14028/19/86-Est.(L)	9.12.1986	1072	14.12.1985
36	13023/20/84-Est.(L)	11.12.1986	1102	27.12.1986
37	13014/1/87-Est.(L)	17.6.1987	515	4.7.1987
38	11012/1/85-Est.(L)	23.6.1987	516	4.7.1988
39	14028/18/86-Est.(L)	23.3.1988	260	9.4.1988
40	11012/1/85-Est.(L)	6.6.1988	476	18.6.1988
41	13012/12/86-Est.(L)	10.3.1989	198	25.3.1989
42	13026/2/90-Est.(L)	22.10.1990	55	26.1.1991
43	11014/3/89-Est.(L)	2.5.1991	303	18.5.1991
44	11014/3/89-Est.(L)	21.1.1992	49	8.2.1992
45	13026/2/90-Est.(L)	4.3.1992	119	14.3.1992
46	13026/2/90-Est.(Leave)	20.4.1993	225	8.5.1993
47	13018/7/94-Estt.(L)	31.3.1995	317(E)	31.3.1995
48	14028/10/91-Estt.(L)	8.8.1995	385	19.8.1995
49	14028/4/91-Estt.(L)	18.9.1995	442	7.10.1995
50	14015/2/97-Estt.(L)	31.12.1997	727(E)	31.12.1997
51	13026/1/99-Estt.(L)	18.4.2002	149	27.4.2002
52	13026/1/2002-Estt.(L)	15/16.1.2004	186	5.6.2004
53	14028/1/2004-Estt.(L)	13.2.2006	47	4.3.2006
54	13018/4/2004-Estt.(L)	31.3.2006	91	27.4.2006
55	13023/3/98-Estt.(L), Vol.II	26.10.2007	229	3.11.2007

56	11012/1/2009-Estt.(L)	1.12.2009	170	5.12.2009
57	13026/1/2010-Estt.(L)	12.5.2011	160	12.5.2011
58	13026/5/2010-Estt.(L)	5.8.2011	601(E)	5.8.2011
59	14028/1/2010-Estt.(L)	26.8.2011	646(E)	26.8.2011
60	13018/4/2011-Estt.(L)	27.8.2011	648(E)	27.8.2011
61	13026/4/2011-Estt.(L)	26.12.2011	898(E)	26.12.2011
62	13026/3/2011-Estt.(L)	28.3.2012	255(E)	28.3.2012
63	13026/2/2010-Estt.(L)	29.3.2012	261(E)	29.3.2012
64	13026/5/2011-Estt.(L)	4.4.2012	283(E)	4.4.2012
65	13026/4/2012-Estt.(L)	18.2.2014	96(E)	18.02.2014
66	13026/4/2012-Estt.(L)	17.4.2014	286(E)	21.04.2014
67	13018/6/2013-Estt. (L)	09.10.2014	711€	09.10.2014
68	13026/2/2016-Estt.(L)	15.3.2017	251(E)	15.03.2017
69	13023/1/2017-Estt.(L)	01.1.2018	08(E)	03.01.2018
70	18017/1/2014-Estt (L)	3.4.2018	438(E)	09.05.2018
71	13018/6/2013 -Estt (L)	6.6.2018	554(E)	13.06.2018

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.12.18 18:47:46 +05'30'